सं. 61] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2004/चैत्र 6, 1926
No. 61] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2004/CHAITRA 6, 1926

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 22 मार्च, 2004

सं. टीएएमपी/31/2003-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 54 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी निदेश के अनुपालन में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार बालार्ड पायर से चलने वाले नावों, क्राफ्टों, बार्जों और लांचेज द्वारा जल ढुलाई के लिए देय लाइसेंस शुल्क से संबंधित मुम्बई पत्तन न्यास के दरों के मान में संशोधन करता है।

अनुसूची

(मामला सं0 टीएएमपी/31/2003–एमबीपीटी)

आदेश

(मार्च,2004 के 15वें दिन पारित किया गया)

इस प्राधिकरण ने संयुक्त टॉवेज और पायलिटिज प्रभारों से संबंधित मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के एक प्रस्ताव के संबध में दिनांक 30 नवम्बर,1998 को एक आदेश पारित किया था । तत्पश्चात, एमबीपीटी द्वारा प्रस्तावित टॉवेज और पायलिटिज प्रभारों में संशोधित प्रावधानों की एक व्यापक सूची 13 जनवरी,1999 को अधिसूचित की गई थी । इन अधिसूचनाओं के अनुसार, बालार्ड पायर से प्रचालन कर रहे लांचेज जल ढुलाई के लिए 50/–रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह की दर पर लाइसेंस शुल्क लगाए जाने के शर्ताधीन हैं ।

2. बाद में, मुम्बई शिप–टू–शोर लांच ओनर्स एसोसिएशन (एमएसएसएलओए) ने एमबीपीटी के दरों के मान के अनुसार जल ढुलाई के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान के संबंध में इस प्राधिकरण के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था । इस प्राधिकरण ने एमबीपीटी और एमएसएसएलओए सहित प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि निकायों के साथ सामान्य विचार–विमर्श के बाद जल ढुलाई के लिए लाइसेंस शुल्क में कमी के लिए एमएसएसएलओए के अभ्यावेदन को रद्द करते हुए 14 दिसम्बर,2001 को कारण स्पष्ट करते हुए एक आदेश (स्पीकिंग आर्डर) पारित किया था । लेकिन, एमबीपीटी के प्रशुल्कों के अगले सामान्य संशोधन के समय संबंधित शुल्क की वसूली के प्रयोजनार्थ पुनः वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने का निर्णय किया गया था ।

3. तत्पश्चात, एमएसएसएलओए ने इस प्राधिकरण के दिनांक 14 फरवरी,2001 के आदेश के विरूद्ध माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल कर दी थी । इस बीच, पोत–संबद्ध प्रभारों के संशोधन से संबंधित एमबीपीटी के प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9 जनवरी,2004 के आदेश द्वारा निर्णय किया गया था । जल ढुलाई प्रभारों के संदर्भ में उक्त आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं :–

> "एमएसएसएलओए ने जल ढुलाई के लिए वर्तमान लाइसेंस शुल्क (50/–रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह) के विरूद्ध बम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है और यह समझा जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 54 के अधीन आवश्यक राहत के लिए केन्द्रीय सरकार से संपर्क करने का निदेश दिया है । सरकार द्वारा अभ्यावेदन के निपटान तक, यह परामर्श दिया जाता है कि बालार्ड पायर से लांचेज प्रचालनों, जोकि कि प्रसंगवश मुम्बई पत्तन न्यास का भी प्रस्ताव है, के संदर्भ में यथास्थिति बनाई रखी जाए ।"

तद्नुसार, संशोधित दरों के मान में बालार्ड पायर से प्रचालन कर रहे लांचेज के संबंध में 50/–रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह की वर्तमान दर को जारी रखने की अनुमति दी गई थी । लेकिन, अपोलो बंडर और न्यू फैरी व्हार्फ से प्रचालन कर रहे लांचेज के संबंध में एमबीपीटी द्वारा प्रस्तावित 25/–रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह की दर इस प्राधिकरण के दिनांक 9 जनवरी,2004 के आदेश में अनुमोदित की गई थी ।

4.1 भारत सरकार, नौवहन मंत्रालय ने अपने दिनांक 3 अक्तूबर,2003 के पत्र द्वारा इस प्राधिकरण को सूचित किया था कि एमएसएसएलओए ने माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 की धारा 54 के अधीन इस प्राधिकरण के आदेश को संशोधित अथवा रद्द करने के लिए केन्द्रीय सरकार से संपर्क किया है, ताकि जल ढुलाई के लिए लाइसेंस शुल्क कम किया जा सके और अपोलो बंडर तथा न्यू फैरी व्हार्फ से प्रचालन कर रहे अन्य लांच स्वामियों से वसूल किए जा रहे 10/–रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह (50/–रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह की बजाय) के समान दरें वसूल की जा सकें और उक्त कम की गई दरें पूर्व–प्रभाव से वसूल की जाएं । इसके अलावा, नौवहन मंत्रालय ने अपने दिनांक 16 जनवरी,2004 के पत्र द्वारा माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में इस प्राधिकरण को सूचित किया था, जिसमें केन्द्रीय सरकार को एमएसएसएलओए के अभ्यावेदन पर निर्णय करने का निदेश दिया गया था और केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित निर्णयों के अनुसार इस प्राधिकरण के दिनांक 27 अक्तूबर,1998 और 13 जनवरी,1999 के आदेशों के साथ अधिसूचित दरों के मान को संशोधित करने के लिए इस प्राधिकरण को निदेश दिया गया था :–

(i) बालार्ड पायर में जल ढुलाई प्रभारों की दरें भविष्य में अपोलो बंडर और न्यू फैरी व्हार्फ की दरों के बराबर की जाएं ।

(ii) विगत अवधि अर्थात 30 दिसम्बर,1998 से नई दरें निर्णीत होने की तारीख तक बालार्ड पायर लांच स्वामियों से वसूल की गई दर 50/–रुपए से घटाकर 25/–रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाही कर दी जाएं ।

4.2 तत्पश्चात, नौवहन मंत्रालय ने सचिव (नौवहन) द्वारा पारित आदेश की एक प्रति प्रेषित की और निम्नलिखित की पुष्टि की थी :–

(i) दरों के मान को संशोधित करने का निदेश महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 की धारा 54 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा जारी किया गया है और यह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसरण में है ।

(ii) बालार्ड पायर में जल ढुलाई प्रभारों की नई दरें भविष्य के लिए तत्काल निर्धारित की जाएं ।

(iii) 30 दिसम्बर,1998 से नई दरें निर्णीत होने की तारीख तक बालार्ड पायर लांच स्वामियों से वसूल की गई दर 50/–रुपए से घटाकर 25/–रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाही कर दी जाएं ।

5. महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 54 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेश के अनुपालन में और बालार्ड पायर जेट्टी से चलने वाले नावों, क्राफ्टों, बार्जों और लांचेज के संबंध में जल ढुलाई प्रभारों के लिए दरों के मान से संबंधित इस प्राधिकरण के 27 अक्तूबर,1998 के आदेश, 13 जनवरी,1999 की अधिसूचना और 9 जनवरी,2004 के आदेश के अधिक्रमण में यह प्राधिकरण 2.1 पायलिटिज, टग सहायता, टॉवेज और अन्य सेवाओं से संबंधित एमबीपीटी के दरों के मान में निम्नलिखित संशोधन करता है:–

(i) खंड सं0 2.1.12 में तालिका सं0–II (जल ढुलाई के लिए लाइसेंस शुल्क) के क्रम सं0 2 में प्रावधान को हटाया जाता है और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जोकि भारत के राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा :–

"(2) बालार्ड पायर जेट्टी से चलने वाले
नाव, क्राफ्ट, बार्ज और लांचेज 25/–रुपए"

(ii) बालार्ड पायर जेट्टी से चलने वाले नावों, क्राफ्ट, बार्जों और लांचेज के लिए जल ढुलाई लाइसेंस शुल्क को 30 दिसम्बर,1998 से पूर्व–प्रभाव से उपर्युक्त (i) में उल्लिखित जल ढुलाई के लिए लाइसेंस शुल्क की संशोधित दरों के क्रियान्वयन की प्रभावी तारीख तक 50/–रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह से घटकर 25/–रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह किया जाता है ।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/03/असाधारण]